10 रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

56

# न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र

प्र/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0986

1. नारायणदास तनय सरजू लोधी
2. रामप्रसाद तनय सरजू लोधी
3. गोवर्धन तनय सरजू लोधी
4. दरयाव तनय सरजू लोधी
5. छोटे लाल तनय सरजू लोधी
6. राममिलन तनय सरजू लोधी

B.O.R.
04 DEC 2017

सभी निवासी मौने माते का खेरा तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़, म.प्र.

..........निगरानीकर्तागण

//विरुद्ध//

250
23/12/17

1. रंजीता तनय वलदेवा लोधी
2. कूरा तनय अमना लोधी
3. गनेश तनय लब्बू लोधी
4. मथुरा तनय भल्लू लोधी
5. हीरा तनय भल्लू लोधी
6. मोती तनय भगवानदास लोधी
7. राजू तनय भगवानदास लोधी
8. म.प्र. शासन

समस्त निवासी मौने माते का खेरा तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़

.....अनावेदकगण

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959**

**निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के नि.प्र.क. 44/बी–121 वर्ष 2016–17 में पारित आदेश दि. 30.10.2017 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है।**

**निगरानीकर्तागण की ओर से सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत है।**

1. यह कि, निगरानीकर्तागण ग्राम मौने माते का खेरा तह. वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के निवासी है , भूमि ख.नं. 396/2/2 कुल रकवा 1.214 हे. में से रकवा

(56)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/986 नारायणदास विरूद्ध रंजीता

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| ~~03-01-2018~~ 03.01.2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । | |
| | 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 44/बी-121 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। | |
| | 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – | |
| | "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" | |
| 3/1/19 | 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |
| | 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका | |

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 3.1.19
सदस्य